न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 09/22

जतमल पुत्र बृजलाल जाति गुर्जर निवासी कपूरा मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, तामील जरिये तहसीलदार साहब तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 13/04/26

उपस्थितिः– श्री धनीराम पोषवाल एड0 प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खाता संख्या 199 के खसरा नम्बर 54 रकवा 0.52 से हिस्सा 1/4 भाग व हाल खाता संख्या 200 के खसरा नम्बरान 1214 रकवा 0.32, 1226 रकवा 0.21, 130 रकवा 0.08, 137 रकवा 0.24, 142 रकवा 0.80, 143 रकवा 0.44, 148 रकवा 0.17, 191 रकवा 0.10, 204 रकवा 0.08, 205 रकवा 0.10, 250 रकवा 0.14, 251 रकवा 0.05, 255 रकवा 0.07, 263 रकवा 0.23, 372 रकवा 0.08, 373 रकवा 0.08, 84 रकवा 1.30 कुल किता 17 कुल रकवा 4.49 से हिस्सा 1/8 का वाके ग्राम कपूरा मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका मैं प्रार्थी रिकॉर्डेड का खातेदार काश्तकार व काविज आराजी है, मुझ प्रार्थी ने अपने खातेदारी की जमीन पर क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 22.02.2022 को पटवारी हल्का कपूरा मलूका से फाईल तैयार करने को कहा तो उक्त पत्रावली तैयार कर दी तब तैयार करते समय पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे खाते में तेरा नाम गलत इन्द्राज हो रहा है जिसमें तेरे नाम जतमल के बजाय दल्ले लिखा हुआ है, तब मुझ प्रार्थी को इस वावत् जानकारी हुई है, मुझ प्रार्थी का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी खाता संख्या 170 व 172 में मेरा जतमल दर्ज है जो कि बिल्कुल सही नाम है, जबकि नकल जमाबन्दी हाल खाता संख्या 199 व 200 में मेरा नाम सहवन से जतमल के स्थान पर दल्ले दर्ज हो गया है जो कि बिल्कुल गलत नाम है मुझ प्रार्थी के नाम दल्लें के स्थान पर जतमल दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हाल जमाबन्दी खाता संख्या 199 व 200 में दर्ज उक्त नाम दल्ले के स्थान पर जतमल अंकित किये जाने की तहसीलदार बयाना को आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना को प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/25/1096 दिनांक 08.04.2025 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि कपूरा मलूका की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 199 व 200 में दल्ले पुत्र बृजलाल जाति गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज है, जबकि इसी जमाबंदी के खाता संख्या 170 व 172 में जतमल पुत्र बृजलाल जाति गूजर सा0देह खातेदार दर्ज है तथा आवेदक खाता संख्या 199 व 200 में दर्ज अपने नाम दल्ले के स्थान पर जतमल करवाना चाहता है, वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 199 व 200 में दर्ज दल्ले पुत्र बृजलाल के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा पुराना रिकार्ड अवलोकन कर प्रार्थी का नाम दल्ले पुत्र बृजलाल ही पाया गया

उक्त खातों के खसरों में कहीं भी जतमल पुत्र बृजलाल नहीं पाया गया, आवेदक प्रार्थी का नाम अपने दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में जतमल पुत्र बृजलाल दर्ज है तथा इन्ही दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी आवेदक अपना नाम जतमल पुत्र बृजलाल करवाना चाहता है, हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार दल्ले पुत्र बृजलाल तथा जतमल पुत्र बृजलाल एक ही व्यक्ति के नाम है, पुराने रिकार्ड में वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 199 व 200 के खसरा नम्बरान में कहीं भी जतमल पुत्र बृजलाल नहीं होने के कारण प्रकरण धारा 136 एलआर एक्ट के तहत शुद्धि के अन्तर्गत नहीं आता है।

हमने एड0 प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम कपूरा मलूका, परिवार राशन कार्ड संख्या 007517100222, पहचान पत्र जतमल पुत्र बृजलाल एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/1096 दिनांक 08.04.2025 का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न आदेशानुसार स्वीकार योग्य है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि हाल जमाबन्दी खाता संख्या 199 व 200 वाके ग्राम कपूरा मलूका तहसील बयाना में खातेदार दल्ले पुत्र बृजलाल को कलमजन कर दल्ले उर्फ जतमल पुत्र बृजलाल का अंकन करें। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/04/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज